कार्यालय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जबलपुर (म0प्र0)

"दिनांक 08 फरवरी, 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में "

दिनांक 08 फरवरी, 2020 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली **"नेशनल लोक अदालत"** में अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कम्पनियों के साथ प्रीसिटिंग का अयोजन किया जाना है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु दावा, चैक अनादरण के प्रकरण, भरण–पोषण /वैवाहिक विवाद प्रकरण, भू–अर्जन संबंधी प्रकरण, वेतन–भत्तों से संबंधित सेवा विवाद, राजस्व प्रकरण इत्यादि, जो पूर्व से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, को समझौता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु रखा जावेगा।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय में ई–मेल, फैक्स, दूरभाष या स्वयं प्रस्तुत करें।ताकि प्रीसिटिंग की कॉजलिस्ट प्रकाशित कराई जा सके।

(राजीव कर्महे)
रजिस्ट्रार / सचिव